

CHAPTER - V
INPUT TAX CREDIT

Section 16: Eligibility and conditions for taking input tax credit

- (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section 49, be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person.
- (2) Notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless,--
- (a) he is in possession of a tax invoice or debit note issued by a supplier registered under this Act, or such other tax paying documents as may be prescribed;
- ¹[(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;]
- (b) he has received the goods or services or both.
- ²[**Explanation**—For the purpose of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or, as the case may be, services-
- (i) where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movements of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;
- (ii) where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person.]
- ³[(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;]

1 Clause (aa) inserted by Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021.

2 Explanation substituted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 2/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019. Earlier to substitution it read as under:

"**Explanation**—For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;"

3 Clause (ba) inserted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (c) subject to the provisions of ⁴[section 41 ⁵[****]], the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the Government, either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of the said supply; and
- (d) he has furnished the return under section 39:

Provided that where the goods against an invoice are received in lots or instalments, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or instalment:

Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of one hundred and eighty days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be ⁶[paid by him along with interest payable under section 50], in such manner as may be prescribed:

Provided also that the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him ⁷[to the supplier] of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon.

- (3) Where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the input tax credit on the said tax component shall not be allowed.
- (4) A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the ⁸[thirtieth day of November] following the end of financial year to which such invoice or ⁹[****] debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

4 Substituted for "section 41" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) effective from a date yet to be notified.

5 The words "or section 43A" omitted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

6 Substituted for "added to his output tax liability, along with interest thereon" by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

7 Inserted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

8 Substituted for "due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

9 The words "invoice relating to such" omitted by The Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti. No. 92/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

¹⁰**Provided that** the registered person shall be entitled to take input tax credit after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September, 2018 till the due date of furnishing of the return under the said section for the month of March, 2019 in respect of any invoice or invoice relating to such debit note for supply of goods or services or both made during the financial year 2017-18, the details of which have been uploaded by the supplier under sub-section (1) of section 37 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) of said section for the month of March, 2019.]

10 Proviso inserted by GST (2nd Removal of Difficulties) Order, 2018 [Order No. 02/2018–Central Tax] dt. 31-12-2018.

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

धारा 16 : इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें

- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में उसको की गई ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिनका उसके कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में की जाएगी।
- (2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको की गई किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में किसी इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,—
- (क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो;
- ¹[(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा बहिगामी पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं।]
- (ख) उसने माल या सेवाओं या दोनों को प्राप्त न कर लिया हो।
- ²[स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त किया है—
- (i) जहां माल का परिदान किसी पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो;
- (ii) जहां सेवा का उपबंध पूर्तिकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के निर्देश पर और उसके मद्दे किया जाता है।]
- ³[(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों,]

- 1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा खंड (कक) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।
- 2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।
प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :
“स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है;”
- 3 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा खंड (खक) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील।

(ग) ⁴[धारा 41 ⁵[.....]] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी पूर्ति के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त पूर्ति के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए; और

(घ) उसने धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत न कर दी हो :

परन्तु जहां किसी बीजक के प्रति माल, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किस्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परन्तु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसी पूर्तियों से भिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को पूर्ति के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, ⁶[धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा;]

परन्तु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य के साथ उस पर संदाय कर के मद्दे रकम का ⁷[उसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को किये गये संदाय] उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट ⁸[.....] संबंधित है, अंत पर आगामी ⁹[30 नवम्बर] के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा।

¹⁰[**परन्तु** यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख के पश्चात् इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के लिए ऐसे नामे नोट से संबंधित किसी बीजक के संबंध में मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा के

4 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा "धारा 41" के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रभावशील तिथि अधिसूचित की जावेगी।

5 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "या धारा 43क" विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील।

6 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा "उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

7 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा "उसके द्वारा किये गये संदाय" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

8 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा शब्द "से संबंधित बीजक" विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

9 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की अंतिम तारीख" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील।

10 माल और सेवा कर (कठिनाईयों का दूसरा निवारण) आदेश, 2018 [आदेश सं. 2/2018-केन्द्रीय कर], दिनांक 31.12.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित।

भाग-I

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक हकदार होगा, जिसके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अपलोड कर दिए गए हैं।]
